

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा (म0प्र0)

दूरभाष क (0733)-2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2021/ 2874  
प्रति,

खंडवा, दिनांक 17.5.21

प्रबंधक,  
श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट,  
ओंकारेश्वर जिला खण्डवा (म0प्र0)

विषय:- श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, ओंकारेश्वर मांधाता जिला खण्डवा द्वारा ग्राम गोदडपुरा, तहसील पुनासा में गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय का निर्माण हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति बाबत। प्रस्ताव क्रमांक (FP/MP/OTHERS/142288/2021)

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 17.05.2021

---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, ओंकारेश्वर मांधाता जिला खण्डवा द्वारा ग्राम गोदडपुरा, तहसील पुनासा में गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय का निर्माण हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. प्रस्तावित योजना का मौके पर स्पष्ट सीमांकन किया जावे।
2. प्रस्तावित योजना का संबंधित उपवनमण्डलाधिकारी से संयुक्त निरीक्षण कराया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
3. प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल प्रस्तुत की जावे।
4. प्रकरण में पंजीयन राशि 5,000/- प्रोसेसिंग राशि 25,000/- इस प्रकार कुल राशि 30,000/- अक्षरी रूपये (तीस हजार रूपये) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा के नाम से बैंक ड्राफ्ट/चालान से जमा करावे अथवा म.प्र कोषालय की वेबसाईट [www.mptreasury.org](http://www.mptreasury.org) के माध्यम से जमा करावे।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कराने का कष्ट करे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल खण्डवा

खंडवा, दिनांक 17.5.21

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2021/ 2875  
प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर (वाचक शाखा) जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- उपवनमंडलाधिकारी पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भाग- 2 में आवश्यक प्रविष्टि कराकर पूर्ण प्रस्ताव समय-सीमा में प्रस्तुत करावें।
- 4- परिक्षेत्राधिकारी पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रस्तावित योजना का निरीक्षण किया जाकर भाग -2 में आवश्यक प्रविष्टि कर प्रभावित वृक्षों का गणना पत्रक एवं मयमानचित्र प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल प्रस्तावित क्षेत्र में दर्शित होने वाले वन्य प्राणियों के नाम एवं निरीक्षण चेक लिस्ट के साथ पूर्ण प्रस्ताव उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (अनुक्रमांक 3 एवं 4)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल खण्डवा